

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-50/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
03.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मरित करें। अगली तिथि <u>28.8.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>28.8.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Seen</i> 3.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
28.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता द्वारा शपथ पत्र सं०-13 दिनांक 25.08.2018 समर्पित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि भूलवश आवेदन पत्र में मेरा थाना-बन्दगांव दर्ज हो गया है। वास्तव में मैं थाना-कराईकेला के निवासी हूँ। विक्रेता के शपथ पत्र के आलोक में विक्रेता को बन्दगांव थाना निवासी मानते हुए आवेदन पत्र में आवेदन पत्र एवं अभिलेख में आवश्यक सुधार किया गया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 860, दिनांक 27.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री तरुण कुमार महतो, पिता-स्व० मदन मोहन महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) ग्राम-आसनतलिया, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-आसनतलिया, थाना नं०-88, खाता नं०-295, प्लॉट नं०-2132, रकवा-0.04 ए०, क्रेता श्रीमती दुर्गेश्वरी महतो, पति-देव कुमार महतो, ग्राम-जोमरोटोला (पुटसाई), जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री तरुण कुमार महतो, पिता-स्व० मदन मोहन महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) ग्राम-आसनतलिया, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। विक्रेता एवं क्रेता उक्त भूमि विक्रय एवं क्रय हेतु सहमत है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता थाना-चक्रधरपुर एवं क्रेता थाना-कराईकेला, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता का दोनों का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य है।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.71 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्रीमती दुर्गेश्वरी महतो, पति-देव कुमार महतो, ग्राम-जोमरोटोला (पुटसाई) जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p style="text-align: center;"><i>Seen</i></p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;"><i>Seen</i> 28.8.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	